उत्तराखण्ड शासन,
औद्योगिक विकास अनुभाग– 2
संख्या 556 /VII-2/2015/–17उद्योग / 2013
देहरादून :दिनांक 28 जुलाई, 2015.

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 742 / VII-1/2013/–166उद्योग / 2011 दिनांक 4 अप्रैल, 2003 द्वारा मेगा उपक्रमों को आकर्षित करने एवं प्रोत्साहन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने हेतु मेगा इण्डस्ट्रीयल तथा इन्वेस्टमेंट पालिसी 2013 प्रख्यापित की गई जिसे कार्यालय ज्ञाप सं 330/VII-1-14/17उद्योग / 2013 दिनांक 26.6.2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु नवीनीकृत किया गया। उक्त अवधि समाप्त हो जाने के फलस्वरूप एवं राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने, राज्य की आर्थिक विकास दर बनाये रखने, स्थानीय स्तर पर उद्यम कुशलता के अवसर प्रदान किये जाने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय, निम्नवत् संशोधित मेगा इण्डस्ट्रीयल एवं इन्वैस्टमैंट नीति 2015 प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

i. इस नीति का नाम **"मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी"** 2015 होगा।

ii. इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा चिन्हित औद्योगिक क्षेत्र आच्छादित होंगे।

iii. इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार/सिडकुल द्वारा चिन्हित औद्योगिक आस्थानों में निम्न प्रकार के उद्योग सम्मिलित किये जायेंगे:–

(अ) एकल उद्योग।

(ब) हॉस्पिटल।

(स) मिश्रित उद्योग (इस श्रेणी के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों के साथ उनकी प्रोसेसिंग इकाईयो को भी अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है। जैसे डेरी एवं डेयरिंग से सम्बन्धित डेयरिंग उत्पाद की Processing Unit, टैक्सटाईल उद्योग तथा उससे सम्बन्धित वस्त्र प्रोसेसिंग यूनिट इत्यादि।

iv. उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत इच्छुक उद्यमियों को भूमि का आवंटन सिडकुल द्वारा वर्तमान Single Window Policy के अंतर्गत सिडकुल की समय–समय पर निर्धारित पद्धति के आधार पर सिडकुल के निर्धारित मूल्य के आधार पर दिया जायेगा।

v. इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत रू0 50.00 करोड से अधिक पूँजी निवेश की नई परियोजनायें एवं विद्यमान परियोजनाओं के विस्तारीकरण वाली इकाईयॉ भी आच्छादित होगी।

vi. पूँजी निवेश के आधार पर परियोजनाओं को निम्नवत् वर्गीकृत किया जाता है:–

1. लार्ज प्रोजेक्टस– रू0 50.00 करोड़ से रू0 75.00 करोड़ तक पूँजी निवेश
2. मैगा प्रोजेक्टस–रू0 75.00 करोड़ से रू0 200 करोड़ तक पूँजी निवेश।
3. अल्ट्रा मैगा प्रोजेक्टस–रू0 200.00 करोड़ से अधिक पूँजी निवेश।

vii. इस नीति के अंतर्गत आगामी 5 वर्षो (31 मार्च 2020) तक उत्पादन में आने वाली इकाईयॉ लाभान्वित होगी।

viii. नीति के अंतर्गत योजनाओं को भूमि आवंटन में सिडकुल की वर्तमान प्रचलित दरों में निम्नवत् विशेष छूट प्रदान की जायेगी:–

1. लार्ज प्रोजेक्टस– सिडकुल की प्रचलित दरों पर 15 प्रतिशत की भूमि दर पर छूट।
2. मैगा प्रोजेक्टस–सिडकुल की प्रचलित दरों पर 25 प्रतिशत की भूमि दर पर छूट।
3. अल्ट्रा मैगा प्रोजेक्टस–सिडकुल की प्रचलित दरों पर 30 प्रतिशत की भूमि दर पर छूट।

ix. इस नीति के अंतर्गत सिडकुल द्वारा आवंटित भूमि के मूल्य (छूट के उपरान्त) का 20 प्रतिशत आवंटन पर तथा शेष 7 वर्ष की समान किस्तों पर निर्धारित ब्याज सहित देय होगा।

x. तीन वर्षो तक उत्पादन में न आने वाले उद्योग से नीति के अंतर्गत अनुमन्य समस्त रियायतें वापिस ले ली जायेगी।

xi. इस नीति के अंतर्गत छूटें एवं रियायतें निम्नवत् होंगी:–

1. **Validity Period of Scheme :** आगामी 05 वर्ष यथा 31 मार्च, 2020 तक उत्पादन में आने वाली इकाईयॉ।
2. **State Capital Subsidy :** केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के लिये वर्ष 2017 तक MSME Sector में 15 प्रतिशत या अधिकतम रू0 50.00 लाख

तथा वृहद् उद्यम हेतु 15 प्रतिशत या अधिकतम रू0 30.00 लाख की छूट उद्यमियों को दी जायेगी।

3. **Interest Subsidy :** उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उत्पादन के उपरान्त आगामी 5 वर्षों तक उद्यमियों को 7 प्रतिशत तक की Interest subsidy दी जायेगी।
4. **Vat Concession :** उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उद्यमियों को उत्पादन के उपरान्त आगामी 5 वर्षो तक निम्नानुसार छूट प्रदान की जायेगी:-
   1. लार्ज प्रोजेक्टस- वैट दर 30 प्रतिशत उत्पादन तिथि से अग्रिम 5 वर्षो हेतु।
   2. मैगा प्रोजेक्टस/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टस-वैट दर 50 प्रतिशत उत्पादन तिथि से अग्रिम 5 वर्षो हेतु।
5. **Power Assistance/Power Bill Rebat :** उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उद्यमियों हेतु उत्पादन के उपरान्त आगामी 5 वर्षो हेतु अघोषित विद्युत कटौती एवं रू0 1.00 प्रति यूनिट की दर से छूट दी जायेगी तथा इलैक्ट्रिक ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट 5 वर्षो के लिये प्रदान की जायेगी।
6. **Rebate on Stamp Duty :** उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उद्यमियों को Land Purchase/Lease Deed सम्पादन करने पर 50 प्रतिशत Stamp Duty पर छूट दी जायेगी।
7. **Concession in Land Regitration Fee :** उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भूमि क्रय/लीजडीड निष्पादन के पंजीकरण हेतु रू0 1/-प्रति रू0 1000/-का शुल्क लिया जायेगा।
8. **Subsidy on ETP :** उत्तराखण्ड सरकार द्वारा ई0टी0पी0 हेतु 30 प्रतिशत कैपिटल सबसिडी अधिकतम रू0 50.00 लाख तक दी जायेगी।
9. **Rebate on Mandi Tax :** उत्तराखण्ड सरकार द्वारा टैक्सटाइल उद्यम पर Mandi Tax पर 75 प्रतिशत छूट दी जायेगी।
10. **CST :** उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उद्यमियों को उत्पादन तिथि से 5 वर्षो तक 1 प्रतिशत CST प्रस्तावित।
11. **Payroll assistance for promoting greater employment generation :** उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रस्तावित किया जाता है कि जिन

उद्यमों में Specified Threshold of direct employees से दोगुने कर्मचारी कार्यरत हो को Specified Threshold of direct employees के अतिरिक्त कर्मचारियों पर रू0 500/– प्रतिमाह प्रति कर्मचारी की सब्सिडी आगामी 10 वर्षो तक दी जायेगी। महिला कर्मचारियों हेतु रू0 700/– प्रतिमाह प्रति कर्मचारी Specified direct employees प्रतिमाह की सब्सिडी प्रदान की जायेगी।

xii. इस नीति के जारी होने के बाद उत्तराखण्ड राज्य में टैक्स की Levy के लिये GST या किसी भी अन्य इसी तरह के कानून द्वारा प्रस्तावित किसी भी कर को उद्यम के एक ही आर्थिक लाभ को बनाये रखने के क्रम में समायोजित किया जायेगा।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 556 (1) /VII-2/2015/–17उद्योग/2013 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण को मा0 मा0 मंत्रिगणों के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. सचिव, गोपन(मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
7. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, आई0टी0पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त को आगामी गजट में प्रकाशित करते हुए ,100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
अपर सचिव।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 जनवरी, 2017 ई0 (पौष 24, 1938 शक सम्वत्) [संख्या–02

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	53–64	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	05–16	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	01–06	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

परिवहन अनुभाग–1

अधिसूचना / संशोधन

23 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1179 / IX–1 / 2016 / 90 / 2016–अधिसूचना संख्या 1400 / IX–1 / 2016 / 90 / 2016, दिनांक 17 दिसम्बर, 2016 द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा हेतु लीड एजेंसी का गठन किया गया था। उक्त में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नवत् सदस्य नामित किये जाते हैं:–

1.	लोक निर्माण विभाग, अधीक्षण अभियन्ता, देहरादून	सदस्य,
2.	चिकित्सा विभाग, अपर निदेशक (प्रशासन), देहरादून	सदस्य,
3.	सहायक निदेशक, शहरी विकास, देहरादून	सदस्य,
4.	अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात, पुलिस विभाग, देहरादून	सदस्य,
5.	अपर निदेशक, राज्य शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद्, देहरादून	सदस्य,
6.	अपर आयुक्त, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड	सदस्य,
7.	रोड सेफ्टी ऑफिसर, एन0एच0ए0आई0, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	सदस्य,
8.	सीमा सड़क संगठन से सम्बन्धित अधिकारी	सदस्य।

2. उक्त अधिसूचना को उक्त सीमा तक यथासंशोधित समझा जाय।

सी0 एस0 नपलच्याल,
सचिव।

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is please to order the publication of the following English translation of the Notification **No.1338A/243/IX/2011,** dated November 29, 2016:

NOTIFICATION

November 29, 2016

No.1338A/243/IX/2011--In exercise of the power conferred by sub section (2) of section 1 of the Uttarakhand Transport and Civil Infrastructure Cess (Amendment) Act, 2016 (Uttarakhand Act no. 13, year 2016), the Governor, appoint 29.11.2016 the date on which the aforesaid Act shall come into force.

By Order,
C. S. NAPALCHYAL.
Secretary.

औद्योगिक विकास अनुभाग–2

कार्यालय ज्ञाप

22 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1033 / VII–1 / 17–उद्योग / 2013 TC–श्री राज्यपाल महोदय, औद्योगिक विकास विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 556 / VII–2 / 2015 / 17–उद्योग / 2013, दिनांक 28 जुलाई, 2015, के प्रस्तर XI (3) में विद्यमान प्राविधान के स्थान पर अग्रसारित प्राविधान प्रतिस्थापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

स्तम्भ–1 विद्यमान प्राविधान	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान
XI (3) Interest Subsidy–उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उत्पादन के उपरान्त आगामी 05 वर्षों तक उद्यमियों को 07 प्रतिशत तक की Interest Subsidy दी जायगी।	उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उत्पादन के उपरान्त आगामी 05 वर्षों तक उद्यमियों को 07 प्रतिशत तक की ब्याज सब्सिडी (समस्त ब्याज सब्सिडी को सम्मिलित करते हुए) निम्नवत् अनुमन्य होगीः– (1) ₹ 50.00 करोड़ से अधिक तथा ₹ 75.00 करोड़ तक पूँजी निवेश हेतु 07 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी अधिकतम सीमा ₹ 25.00 लाख प्रति वर्ष तक दी जायेगी। (2) ₹ 75.00 करोड़ से अधिक तथा ₹ 200.00 करोड़ तक पूँजी निवेश हेतु 07 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी अधिकतम सीमा ₹ 35.00 लाख प्रति वर्ष तक दी जायेगी। (2) ₹ 200.00 करोड़ से ज्यादा पूँजी निवेश हेतु 07 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी अधिकतम सीमा ₹ 50.00 लाख प्रति वर्ष तक दी जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप

22 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1034/VII–1/40–सिडकुल/2014–श्री राज्यपाल महोदय, औद्योगिक विकास विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 791/VII–1/40–सिडकुल/2014, दिनांक 11 दिसम्बर, 2014, के प्रस्तर 9 (III) में विद्यमान प्राविधान के स्थान पर निम्नलिखित प्राविधान प्रतिस्थापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

स्तम्भ–1 विद्यमान प्राविधान	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान
9(III) Interest Subsidy–उत्तराखण्ड राज्य उत्पादन के उपरान्त आगामी 07 वर्षों तक टैक्सटाईल उद्यम पर 07 प्रतिशत तक की Interest Subsidy दी जायेगी।	उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उत्पादन के उपरान्त आगामी 07 वर्षों तक टैक्सटाईल उद्यम पर 07 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी (समस्त ब्याज सब्सिडी को सम्मिलित करते हुए) अधिकतम ₹ 50.00 लाख प्रति वर्ष अनुमन्य होगी।

आज्ञा से,
डा0 आर0 राजेश कुमार,
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्या /VII-1/2018/17–उद्योग/2013 TC
देहरादूनः दिनांकः 25 मई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

श्री राज्यपाल, राज्य की "मेगा इण्डस्ट्रियल तथा इन्वेस्टमेंट नीति–2015" में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नीति बनाते हैंः–

"मेगा इण्डस्ट्रियल तथा इन्वेस्टमेंट (संशोधन) नीति–2018"

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान प्राविधान	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान
ii- इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा चिन्हित औद्योगिक क्षेत्र आच्छादित होंगे।	इस नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार(उद्योग विभाग/सिडकुल) द्वारा विकसित सभी औद्योगिक आस्थान /क्षेत्र, अधिसूचित निजी औद्योगिक क्षेत्र/आस्थान/विशेष औद्योगिक क्षेत्र, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्याः 50/2003–सी.ई. दिनांक 10 जून, 2003 में **Proposed Industrial Estates/Area** व **Expansion of the Existing Industrial Estates** शीर्ष के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि के खसरा नम्बरों अथवा मेगा प्रोजेक्टस के लिए विधिक रूप से अर्जित ऐसी भूमि, जिसका भू–उपयोग विनियमित क्षेत्र के अनुमोदित मास्टर प्लान में औद्योगिक घोषित हो अथवा विनियमित क्षेत्र से बाहर(नगर निगम/महानगर पालिका/नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर) की भूमि धारा–143 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा औद्योगिक/अकृषक घोषित की गयी हो, आच्छादित होगें।
iii- इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार/सिडकुल द्वारा चिन्हित औद्योगिक आस्थानों में निम्न प्रकार के उद्योग सम्मिलित किये जायेंगेः– (अ) एकल उद्योग। (ब) हॉस्पिटल। (स) मिश्रित उद्योग (इस श्रेणी के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों के साथ	इस नीति के अंतर्गत आच्छादित/चिन्हित क्षेत्रों में स्थापित होने वाले निम्न प्रकार के विनिर्माणक/सेवा क्षेत्र के उद्यम सम्मिलित किये जायेंगेः– (अ) एकल उद्योग। (ब) हॉस्पिटल। (स) मिश्रित उद्योग (इस श्रेणी के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों के साथ उनकी प्रोसेसिंग इकाईयों को भी अनुमन्य

उनकी प्रोसेसिंग इकाईयों को भी अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है। जैसे डेयरी एवं डेयरिंग से सम्बन्धित डेयरिंग उत्पाद की Processing Unit, टैक्सटाईल उद्योग तथा उससे सम्बन्धित वस्त्र प्रोसेसिंग यूनिट इत्यादि।	किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है। जैसेः डेयरी एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण/प्रसंस्करण की इकाई (Dairy & Dairy Products Manufacturing / Processing Units), टैक्सटाईल उद्योग तथा उससे सम्बन्धित वस्त्र/परिधान विनिर्माण की इकाई, इत्यादि। (द) आयुष एवं वैलनेसः कायाकल्प रिसॉर्ट (Spa & Rejunevation Resort),आर्युवेद, योगा, पंचकर्म, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी एवं स्पॉ। (ध) होटल, रिसॉर्ट, मोटेल, केबिल कार एवं रोप–वे, साहसिक एवं अवकाशकालीन खेलः बंजी जम्पिंग, पॉवर बोट्स, कायकिंग, जॉय राइडिंग इन चॉपर्स, सी–प्लेन, स्किल गेम पार्क।
xi(4)- Vat Concession: उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उद्यमियों को उत्पादन के उपरान्त आगामी 5 वर्षों तक निम्नानुसार छूट प्रदान की जायेगी:– 1- लार्ज प्रोजेक्टस– वैट दर 30 प्रतिशत उत्पादन तिथि से अग्रिम 5 वर्षों हेतु। 2- मेगा प्रोजेक्टस/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टस–वैट दर 50 प्रतिशत उत्पादन तिथि से अग्रिम 5 वर्षों हेतु।	मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति–2015 के अन्तर्गत माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा एवं मात्रा निम्नानुसार होगी: 1. लार्ज प्रोजक्टस के लिये उत्पादन तिथि से आगामी 5 वर्ष हेतु इनपुट टैक्स केडिट समायोजन के पश्चात कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी. टू सी) को विक्रय किया गया हो, का 30 प्रतिशत। 2. मेगा प्रोजक्टस/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिये उत्पादन तिथि से अग्रिम 5 वर्षों हेतु इनपुट टैक्स केडिट समायोजन के पश्चात कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी. टू सी) को विक्रय किया गया हो, का 50 प्रतिशत। <u>स्पष्टीकरणः</u> माल एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत जो भी कर दायित्व बनता है, से सम्बन्धित सम्पूर्ण धनराशि राजकोष में जमा की जायेगी तथा कोई भी अंश अपने पास नहीं रखा

	जायेगा। दाखिल विवरणी के अनुसार एवं आई0टी0सी0 के समायोजन के पश्चात कुल कर दायित्व को देखते हुए इकाई को इस योजना के प्राविधानों के अनुसार भुगतान किये गये माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के अन्तर्गत दिए गए ऐसे एस.जी.एस.टी. कर के भाग की प्रतिपूर्ति की जायेगी जो राज्य के अन्दर सीधे ग्राहक (बी. टू सी) को विक्रय से सम्बन्धित हो।
xi(10)- CST: उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उद्यमियों को उत्पादन तिथि से 5 वर्षों तक 1 प्रतिशत CST प्रस्तावित।	1 जुलाई, 2017 से जी0एस0टी0 व्यवस्था प्राचलन में आने के फलस्वरूप नीति में प्रदत्त केन्द्रीय बिक्री कर (CST) कर से छूट की सुविधा दिनांक 1 जुलाई, 2017 के पश्चात अनुमन्य नहीं होगी।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 358 (1)/VII-1/2018/17–उद्योग/2013 TC तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
6. महानिदेशक/आयुक्त, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. महानिदेशक, पर्यटन, उत्तराखण्ड।
8. महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड।
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त को आगामी गजट में प्रकाशित करते हुए 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
13. गार्ड फाईल।

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः /VII-A-2/2020/17–उद्योग/2013
देहरादून, दिनांकः || जून, 2020

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, "मेगा इण्डस्ट्रियल तथा इन्वेस्टमेंट नीति–2015 (समय–समय पर यथा–संशोधित) जिसे एतस्मिनपश्चात् उक्त पालिसी कहा गया में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्–

1. उक्त पॉलिसी के प्रस्तर–iii के उपप्रस्तर (अ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्तर अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

iii. इस नीति के अंतर्गत आच्छादित/अभिज्ञात क्षेत्रों में स्थापित होने वाले निम्नलिखित चिन्हित नये तथा पर्याप्त विस्तारीकरण की मौजूदा औद्योगिक इकाईयां नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु पात्र होंगेः–

(अ) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना फा.सं-2(2)/2018-एसपीएस. दिनांक 23 अप्रैल, 2018 के अनुबन्ध–1 में निषेध सूची (Negative List) के अन्तर्गत चिन्हित निम्नलिखित उद्योगों को छोड़कर सभी एकल विनिर्माण उद्योग।

निषेध सूचीः

(1) केन्द्रीय उत्पाद –शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 24 के अन्तर्गत आने वाले सभी सामान जो तम्बाकू तथा निर्मित तम्बाकू उत्पादों से सम्बन्धित हैं।

(2) केन्द्रीय उत्पाद –शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 21 के अन्तर्गत आने वाले पान मसाला।

(3) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. एस.ओ. 705(ई), दिनांक 02.09.1999 तथा एस.ओ. 698 (ई), दिनांक 17.06.2003 के अन्तर्गत विशिष्ट रूप से उल्लिखित के अनुसार 20 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक थैलियां।

(4) पौधरोपण, शोधशालायें तथा 10 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन की परियोजनायें।

(5) पेट्रोलियम अथवा गैस शोधशालाओं द्वारा उत्पादित केन्द्रीय उत्पाद –शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 27 के अन्तर्गत आने वाला सामान।

(6) कोक (कैलसाइन्ड पेट्रोलियम कोक सहित), फ्लाई ऐश, सीमेंट, स्टील रोलिंग मिल (मेल्टिंग सैक्शन व रोलिंग मिल सहित)।

(7) पर्यावरण संबंधी मानकों का अनुपालन नहीं करने वाली अथवा पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अथवा राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) अथवा संबंधित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना तथा प्रचालन हेतु अपेक्षित सहमति नहीं लेने वाली इकाईयां।

(8) गोल्ड और गोल्ड डोर को छोड़कर ।

(9) उच्च कीमत के पैकेजिंग तथा प्रसंस्करण को छोड़कर भण्डारण के दौरान संरक्षण, साफ–सफाई, प्रचालन, पैकिंग, रि–पैकिंग अथवा रि–लैबलिंग, छटनी, खुदरा बिक्री मूल्य में परिवर्तन आदि जैसे कम मूल्य संवर्द्धन के कार्यकलाप।

स्पष्टीकरणः उक्त बिन्दु–(अ) के अन्तर्गत ऐसे एकल उद्योगों को, जिन्होने नीति में संशोधन सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप जारी होने से पूर्व मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट नीति–2015 के अन्तर्गत उद्योग की स्थापना के लिए एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत भूमि क्रय की अनुमति/भूखण्ड आवंटन, धारा–143 के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन के आदेश प्राप्त कर सभी सम्बन्धित विभागों से वांछित अनुज्ञा/अनापत्ति तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति पत्र (Consent to Establish) प्राप्त कर लिया हो और उद्यम स्थापना हेतु सभी प्रभावी कदम उठा लिये हों, को अर्हता के आधार पर मूल नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ उत्पादन प्रारम्भ करने से 5 वर्ष तक यथावत मिलता रहेगा, बशर्ते कि ऐसे उद्योग दिनांक 30 सितम्बर, 2021 से पहले अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दें।

2. उक्त पॉलिसी के प्रस्तर–vi के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्तर अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

vi. पूँजी निवेश के आधार पर परियोजनाओं को निम्नवत् वर्गीकृत किया जाता हैः–

1. लार्ज प्रोजेक्टस– रू. 50 करोड़ से रू. 75 करोड़ तक पूँजी निवेश।
2. मेगा प्रोजेक्टस–रू. 75 करोड़ से रू. 200 करोड़ तक पूँजी निवेश।
3. अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टस– रू. 200 करोड़ से अधिक पूँजी निवेश।

4. सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स– ऐसी सुपर अल्ट्रा मेगा परियोजनायें, जिनमें रू. 400 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश और न्यूनतम 400 लोगों को नियमित रोजगार दिया जाना प्रस्तावित हो।

3. उक्त पॉलिसी के प्रस्तर–viii के बिन्दु 3 के पश्चात् निम्नलिखित बिन्दु अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

viii नीति के अन्तर्गत योजनाओं को भूमि आवंटन में सिडकुल की वर्तमान प्रचलित दरों में निम्नवत् विशेष छू प्रदान की जायेगीः–

4. सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्सः– सिडकुल की प्रचलित दरों पर 30 प्रतिशत की छूट।

स्पष्टीकरणः नीति के अन्तर्गत पात्र गतिविधियों में सम्मिलित लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा तथा सुपर अल्ट्रा मेगा होटल/रिसॉर्ट की स्थापना के लिए सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधि (Commercial Activities) के लिए आरक्षित भूमि में, भूमि आवंटन पर भूमि की निर्धारित दरों में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

4. उक्त पॉलिसी के प्रस्तर–xi के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्तर प्रतिस्थापित करते हुए प्रस्तर–12 अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

xi. इस नीति के अंतर्गत प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन एवं छूट/रियायतें निम्नवत् होंगीः–

1. योजना की वैद्यता अवधिः– यह नीति दिनांक 28.07.2015 से प्रवत्त होकर दिनांक 30.06.2020 तक अथवा नई नीति लागू होने तक वैध रहेगी तथा नीति की वैधता अवधि में स्थापनाधीन/विस्तारीकरण का कार्य प्रारम्भ करने वाले ऐसे उद्योगों, जो कि दिनांक 30 सितम्बर, 2021 से पूर्व उत्पादन प्रारम्भ करेंगे, को ही इस नीति का लाभ अनुमन्य होगा।
2. उक्त नीति के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2020 तक स्थापित होकर उत्पादन में आने वाले नये तथा पर्याप्त विस्तारीकरण के लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा उद्योगों को पूर्ववत लाभ अनुमन्य अवधि तक मिलते रहेंगे।
3. ब्याज प्रतिपूर्ति सहायताः

(4) रू. 400 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश के सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/वित्तीय संस्था से लिये गये सावधि ऋण पर देय ब्याज में 7 प्रतिशत, अधिकतम रू. 75 लाख प्रतिवर्ष।

4. मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति–2015 (यथासंशोधित–2016/2018) **(यथासंशोधित–2020) कहलायेगी** के अन्तर्गत राज्य माल एवं सेवा

कर (एस.जी.एस.टी.) की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा एवं मात्र निम्नानुसार होगी:

(2) मेगा प्रोजक्ट्स/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स/सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिये उत्पादन तिथि से अग्रिम 5 वर्षों हेतु इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन के पश्चात कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी. टू सी) को विक्रय किया गया हो, का 50 प्रतिशत।

5. विद्युत बिल में प्रतिपूर्ति सहायता (केवल विनिर्माणक उद्योगों के लिए): पात्र उद्यमों को उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से आगामी 5 वर्ष तक देय विद्युत बिल में रू. 1.00 प्रति यूनिट की दर से नियत सीमा तक प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य होगी। विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता की अधिकतम वार्षिक सीमा निम्नानुसार होगी:–

    1. लार्ज प्रोजेक्ट्स– रू. 50 लाख प्रतिवर्ष।
    2. मेगा प्रोजेक्ट्स– रू. 75 लाख प्रतिवर्ष।
    3. अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स– रू. 1 करोड़ प्रतिवर्ष।
    4. सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स– रू. 1 करोड़ 50 लाख प्रतिवर्ष।

स्पष्टीकरण:

1. उक्त नीति में संशोधन जारी होने से पूर्व स्थापित होकर उत्पादन में आने वाले नये तथा पर्याप्त विस्तारीकरण के लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा उद्योगों को पूर्ववत विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता का लाभ अनुमन्य अवधि तक मिलता रहेगा।
2. नीति के अन्तर्गत पात्र गतिविधियों में सम्मिलित होटल तथा रिसॉर्ट को विद्युत बिल तथा इलैक्ट्रिक ड्यूटी में प्रतिपूर्ति सहायता का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

xii. इस नीति के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक इकाई अपने कुल सेवायोजन का न्यूनतम 70 प्रतिशत सेवायोजन/ रोजगार जो उत्तराखण्ड राज्य के निवासी हों को प्रदान किया जायेगा।

उक्त संशोधित मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति–2015 (यथासंशोधित–2016/2018)(यथासंशोधित–2020) कहलायेगी, जो तुरन्त प्रवृत्त समझी जायेगी।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 236 (1)/ VII-A-2/2020/17–उद्योग/2013, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण को मा0 मंत्रिगणों के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. सचिव, गोपन(मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाँऊ मण्डल।
7. महानिदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, आई0टी0पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
9. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त को आगामी गजट में प्रकाशित करते हुए 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
13. गार्ड फाइल।

(उमेश नारायण पाण्डेय)
अपर सचिव।